संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं
सतपुड़ा भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश
E-mail : idspssu@mp.gov.in, Phone : 0755-4094192

क्रमांक/आई.डी.एस.पी./2020/1887 भोपाल, दिनांक 09.11.2020

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
2. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, म.प्र.,

विषय– **प्रदेश में कोविड–19 पॉजिटिव प्रकरणों के लिए स्थापित कोविड केयर सेन्टर (सी.सी.सी) के संबंध में।**

संदर्भ– **क्रमांक कोविड–19 नियंत्रण/आई.डी.एस.पी./2020/1223 भोपाल, दिनांक 06.05.2020.**

––00––

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि कोविड–19 महामारी की अवधि में पत्र आदेश क्रमांक कोविड–19 नियंत्रण/आई.डी.एस.पी./2020/1223 भोपाल, दिनांक 06.05.2020 तथा क्रमांक/कोविड–19 नियंत्रण/आई.डी.एस.पी./2020/675 भोपाल, दिनांक 21.05.2020 के द्वारा प्रदेश में कोविड–19 के लक्षण रहित अथवा अति मन्द लक्षण वाले पॉजिटिव रोगियों के उपचार हेतु कोविड केयर सेन्टर के संचालन संबंधी निर्देश तथा तकनीकी प्रोटोकॉल जारी किये गये है।

कोविड केयर सेन्टर के प्रबंधन हेतु समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को "एक्टिविटी 16.2 एफएमआर कोड B 31.9 कोविड केयर सेन्टर" अन्तर्गत आवासीय प्रबंधन भोजन व्यवस्था हेतु राशि स्वीकृत की गई है। इसके अतिरिक्त औषधी/उपकरण/सामग्री हेतु एफएमआर कोड B 31 के अन्तर्गत राशि स्वीकृत की गई है।

विगत 3 सप्ताह से सार्थक पोर्टल के अनुसार कोविड–19 के नये पॉजिटिव तथा एक्टिव मरीजों की संख्या में गिरावट देखी गयी है वर्तमान में प्रदेश में कोविड केयर सेन्टर की बेड ऑक्यूपेन्सी 2.48 प्रतिशत है। विभिन्न जिलों में संचालित कोविड केयर सेन्टर की संख्या 262 में 22398 बिस्तर उपलब्ध हैं, जिनमें मात्र 555 कोविड – 19 पॉजिटिव रोगी भर्ती है।

उपरोक्त आलोक में जिलों में कोविड–19 मरीजों की घटती हुई संख्या तथा बेड ऑक्यूपेन्सी के परिदृश्य में प्रत्येक जिलें में मात्र एक शासकीय कोविड केयर सेन्टर संचालित किया जायेगा। शेष शासकीय/अशासकीय कोविड केयर सेन्टर तत्काल प्रभाव से बंद किये जाये। परंतु महामारी की स्थिति में जिलें में लक्षण रहित अथवा अति मन्द लक्षण वाले कोविड–19 पॉजिटिव मरीजों की संख्या में वृद्धि होने तथा अतिरिक्त बिस्तरों की आवश्यकता होने पर जिलों द्वारा अतिरिक्त कोविड केयर सेन्टर खोले जाने हेतु राज्य से अनुमति प्राप्त की जाना होगी। पूर्व में जारी कोविड केयर सेन्टर के संचालन संबंधी तकनीकी प्रोटोकॉल विषयक समस्त गाईडलाइन का पालन यथावत किया जायेगा।

अतः उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

स्वास्थ्य आयुक्त
मध्यप्रदेश

निरन्तर.......

पृ. क्रमांक/आई.डी.एस.पी./2020/ भोपाल, दिनांक.........11.2020

प्रतिलिपिः– कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल, मध्य प्रदेश
2. प्रमुख सचिव, आयुष विभाग, मध्यप्रदेश।
3. आयुक्त चिकित्सा शिक्षा विभाग, म.प्र.।
4. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश।
5. मिशन संचालक, एन.एच.एम. अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल।
6. संचालक स्वास्थ्य, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल, मध्यप्रदेश।
7. समस्त क्षेत्रीय संचालक, संभागीय स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश।
8. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, मध्यप्रदेश।
9. प्रभारी कोविड–19 कंट्रोल रूम, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाये, मध्य प्रदेश।
10. उप संचालक, आई.टी. शाखा, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाये, मध्य प्रदेश।

स्वास्थ्य आयुक्त
मध्यप्रदेश